

उद्यान अनुभाग

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर

अल्पकालिक निविदा के माध्यम से उद्यान अनुभाग अंतर्गत तराई भवन स्थित आम, लीची आदि के बागों की निविदा सूचना

तराई भवन स्थित अन्दर एवं बाहर वाले बागों पर 02 वर्ष हेतु दिनांक 23.03.2022 से 31.08.2023 तक आम, लीची, कटहल, चीकू बागों की निविदा हेतु ठेकेदारों/अधिकृत फर्मों द्वारा अल्पकालिक निविदा प्रपत्र (Tender Form) दिनांक 11.03.2022 से 19.03.2022 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समयावधि (प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक) में रु. 2000.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत रु. 360.00 कुल रु. 2,360.00 (रूपये दो हजार तीन सौ साठ मात्र) में नकद मुगतान/बैंक ड्राफ्ट अनुभाग कार्यालय में जमा करते हुये क्रय किये जा सकते हैं एवं निविदायें दिनांक 16.03.2022 से 21.03.2022 तक कार्यालय समयावधि में (प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक) निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र क्रय की रसीद व तथा धरोहर राशि के ड्राफ्ट के साथ संलग्न कर कार्यालय में रखें निविदा बाक्स में डाली जायेंगी। निविदायें संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान तथा निविदा केवल उन्हीं ठेकेदारों/फर्मों की स्वीकार की जायेंगी, जिनके द्वारा दिनांक 16.03.2022 से दिनांक 21.03.2022 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समयावधि (प्रातः 9:00 से सायं 4:00 बजे) में क्रय किये गये निविदा प्रपत्र फीस रु. 2000.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत रु. 360.00 कुल रु. 2360.00 (रूपये दो हजार तीन सौ साठ मात्र) की रसीद एवं निविदा में भाग लेने हेतु रु. 01 लाख तक की निविदा हेतु रु. 5,000.00, 01 लाख से 05 लाख तक की निविदा हेतु रु. 50,000.00, रु. 05 लाख से रु. 10 लाख तक की निविदा हेतु रु. 1,00,000.00, रु. 10 लाख से रु. 20 लाख तक की निविदा हेतु 1,50,000.00, रु. 20 लाख से रु. 50 लाख तक की निविदा हेतु रु. 2,00,000.00 की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो, नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के नाम भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक/पी0एन0बी0 बैंक अथवा यूनियन बैंक, पंतनगर शाखा में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर कार्यालय में रखें निविदा बाक्स में डाला गया हो। निविदा की धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट एवं क्रय किये निविदा प्रपत्र (Tender Form) की रसीद की मूल प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं करने की दशा में निविदा बाक्स में डाले गये निविदा प्रपत्र को निरस्त समझा जायेगा।

समस्त निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि निविदा में भाग लेने से पूर्व बागों का भली-भाँति निरीक्षण कर ही निविदा डालें, बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र.सं.	विभाग का नाम	विवरण	बागों का विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	उद्यान अनुभाग	तराई भवन के अन्दर एवं बाहर स्थित बाग	आम, लीची, (कटहल 04 पेड़, चीकू 01 पेड़, कमरख 01 पेड़, बेल 02 पेड़, सहजन 01 पेड़, गुलाब जामुन 01 पेड़ सहित)	9.0 एकड़

अल्पकालिक निविदा की शर्तें:

- बागों के ठेके की अवधि 31.08.2023 तक होगी।
- लीची के 5000 दाने तथा आम के 500 दाने किसी भी पेड़ से किसी भी समय तराई भवन के अतिथियों द्वारा स्वयं तोड़े जायेगे।
- लीची के 02 पेड़ तराई भवन के अन्दर (एक बेदाना एक दाना) छोड़ने होंगे।
- किचन गार्डन तराई भवन के पेड़ों को नीलामी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जिसकी जानकारी/गिनती उद्यान अनुभाग के कार्यालय एवं तराई भवन में कार्यरत माली से प्राप्त की जा सकती है।
- ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बागों का भली-भाँति निरीक्षण कर लें। बागों की बिक्री के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
- उच्चतम निविदादाता एवं द्वितीय उच्चतम निविदादाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट को छोड़कर अन्य निविदादाता द्वारा जमा किया गया धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट निविदा समाप्ति के तुरन्त पश्चात् लौटा दिया जायेगा, परन्तु रु. 2,360/- (रूपये दो हजार तीन सौ साठ मात्र) की निविदा प्रपत्र फीस (Tender Form Fees) वापस नहीं की जायेगी।

7. निविदा समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्तं निविदाओं को अस्वीकृत कर दें।
8. सफल निविदादाता को उच्चतम निविदा धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) निविदा समाप्ति के पश्चात् तुरन्त जमा करनी होगी, यदि सफल निविदादाता 25 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) जमा नहीं करता है तो जमा की गई धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट को जब्त कर लिया जायेगा।
9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा स्वीकृति हो जाने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को पंजीकृत डाक/व्हाट्सअप द्वारा दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना प्रेषण की दिनांक से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व उच्चतम निविदा धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि (द्वितीय किस्त) जमा करनी होगी।
10. प्रथम वर्ष फल तुड़ाई से पूर्व उच्चतम धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट उद्यान अनुभाग कार्यालय में सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा करना होगा। जिसको ठेके की समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार को नियमानुसार लौटा दिया जायेगा।
11. द्वितीय वर्ष उच्चतम निविदा धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि (तृतीय किस्त) दिनांक 30.09.2022 तक जमा करनी होगी।
12. शेष 25 प्रतिशत धनराशि (चतुर्थ/अंतिम किस्त) दिनांक 28.02.2023 तक जमा करनी होगी, इस धनराशि में पूर्व में निविदा में प्रतिभाग करने हेतु जमा की गई धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को समायोजित कर लिया जायेगा। यदि सफल निविदादाता द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त जमा करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा पहले जमा किया गया धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट एवं 10 प्रतिशत सुरक्षा धनराशि (वापसी योग्य) के बैंक ड्राफ्ट को जब्त कर लिया जायेगा। उच्चतम निविदादाता/ठेकेदार द्वारा उच्चतम धनराशि की किस्ते निर्धारित तिथि (समय अवधि) तक जमा न करने की स्थिति में निर्धारित तिथि से अगले 20 दिन तक 20 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क के साथ बाग पर कब्जा लिया जा सकता है। इसके बाद ठेका स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा पूर्व में जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
13. सफल निविदादाता को निविदा की समस्त धनराशि अपने खाते से बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से ही भुगतान करनी होगी। किसी अन्य के खाते से भुगतान की गई धनराशि मान्य नहीं होगी।
14. जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत हो जाती है वह ठेकेदार किसी अन्य ठेकेदार को बाग बेच या हस्तांतरित नहीं कर सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो, उस ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
15. ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद आदि के समाधान के लिए माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कुलपति जी अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा बतौर Sole Arbitrator किया जायेगा तथा उनके द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
16. ठेके की शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रु. 100/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को बाग का कब्जा लेने की दिनांक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
17. ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस/ग्राम प्रधान/विधायक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो बाग का कब्जा लेने से पूर्व अनुभाग कार्यालय में जमा करना होगा।
18. ठेकेदार द्वारा प्रभारी अधिकारी/सुरक्षा अधिकारी, पन्तनगर से स्वयं का तथा बाग पर लगाये गये अपने आदमियों का परिचय पत्र बनवाना होगा।
19. सफल निविदादाता द्वारा बागों में लगे वृक्षों का कटान नहीं किया जायेगा और न ही उनकी टहनियों की कॉट-छॉट की जायेगी। पौध प्रवर्धन कार्य के लिए बाग में उद्यान अनुभाग के मालियों को कार्य करने की छूट होगी।
20. नीलामी की गयी फल फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को बाग की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि अनुभाग/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है, तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
21. सफल निविदादाता को बागों की जुताई, सिंचाई, खाद डालना, रसायन का स्पे एवं सुरक्षा चौकीदारी की व्यवस्था इत्यादि समर्त कार्यों की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। ठेकेदारों को बागों में रसायन (फॉर्मूलीनाशक/कीटनाशी आदि) के प्रयोग से पूर्व अनुभाग के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि सफल निविदादाता द्वारा बिना अनुमति के किसी रसायन/कीटनाशक का छिड़काव वृक्षों पर करने के उपरान्त वृक्ष सूखता है अथवा फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का आंकलन अनुभाग द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा एवं सम्बन्धित ठेकेदार से वसूली की जायेगी।

40

22. सफल निविदादाता को किसी भी सामग्री/फल को परिसर से बाहर ले जाने हेतु अनुभाग कार्यालय से गेट-पास प्राप्त करना होगा, बिना गेट-पास के परिसर से कोई सामान बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
23. बाग की सफाई, फलों की रक्षा एवं फलों को लाने ले जाने की समस्त जिम्मेदारी बाग के ठेकेदार की होगी।
24. बाग की सिंचाई में होने वाले विद्युत शुल्क आदि पर व्यय ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।
25. ठेकेदार द्वारा या उसके आदमियों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में किसी प्रकार की मादक वस्तुओं का उपयोग या व्यापार नहीं किया जायेगा।
26. ठेका समाप्त होने के दिन ठेकेदार सभी पके फल तोड़ सकता है। ठेकेदार द्वारा स्वयं या उसके आदमियों के द्वारा बाग के कच्चे तथा अधपके फलों तथा वृक्षों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। यदि उसके द्वारा किसी प्रकार की क्षति पहुँचायी जाती है तो उद्यान अनुभाग द्वारा किया गया क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन ठेकेदार को मान्य होगा तथा क्षति की क्षतिपूर्ति ठेकेदार को करनी होगी।
27. सफल निविदादाता बाग में किसी अन्य फसल का उत्पादन नहीं कर सकता है।
28. अनुभाग द्वारा बनाये गये रास्तों का उपयोग ही सफल निविदादाता को करना होगा। किसी नये रास्ते का निर्माण अथवा बाउण्ड्री को तोड़कर अपना सामान/फल ले जाने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा करते पाया जाता है तो सफल निविदादाता पर दण्ड/जुर्माना लगाया जायेगा।
29. ठेकेदारों को उक्त सभी शर्तों का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि ठेकेदार नियमों/शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 29 तक) मेरे द्वारा पढ़ ली गई हैं तथा मुझे सभी शर्तें मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता.....

पूरा नाम.....

पिता का नाम.....

ग्राम एवं पोरा.....

तहसील

पिन

जनपद.....

दूरभाष सं.

निविदा जारी करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर

